



सत्यमेव जयते

एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशन22 गोदाम औद्योगिक सम्पदा, जयपुर-302006
Phone 0141-2388929, Email : dcts-jaipur@dcmsme.gov.in**अनुपयोगी/नकारा हुई मशीनों/सामान के निस्तारण करने संबंधी सार्वजनिक सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के एमएसएमई-टेस्टिंग स्टेशन, (भारत सरकार), जयपुर, निम्नानुसार विभागीय अनुपयोगी/नकारा हुए सामान/ मशीनों को जैसा है जहाँ है की स्थिति में निस्तारण करने हेतु बन्द लिफाफे में इच्छुक खरीददारों से दरे आमंत्रित की जाती है जिसकी अंतिम तिथि 22.11.2018 है। निस्तारण किए जाने वाले सामान का विवरण निम्नानुसार है। निविदाएं दिनांक 22.11.2018 को अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएंगी।

क्र. सं.	स्टोर का विवरण	मेक/मॉडल	मात्रा	खरीद का वर्ष
1.	एटोमिक एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोमीटर की चिमनी	केमिटो	1	2001
2.	एटोमिक एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोमीटर एए 203का हाईज़ाइंड जनेस्टर	केमिटो/एए 203	1	2003
3.	माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एटोमिक एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोमीटर एए 203	केमिटो/एए 203	1	2001
4.	नाइट्रस ऑक्साइड का बर्नर एवं सिलेण्डर	केमिटो	1	2001
5.	मानक होलो कैथोड लेम्प,एल्यूमिनियम केडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, सोना, ऑयरन, बोरोन, मैगनीशियम, मैगनीज़, मोलीब्डेनम, निकिल,सिलिकोन, सिल्वर, टंगस्टन, लेड, जिंक, वेनेडियम एवं टिन	केमिटो	1 प्रत्येक	2001
6.	आर्यल फ्री एयर कम्प्रेशर	केमिटो	01	2001
7.	एन्टीमनी एवं बिस्मिथ के मानक होलो कैथोड लेम्प	केमिटो	1 प्रत्येक	2003

नीलामी शर्तें —

- इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामान का निरीक्षण एमएसएमई-टेस्टिंग स्टेशन, जयपुर पर आकर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कर सकते हैं।
- इच्छुक खरीददार को धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) रु. 7500 क्र.सं. 01 से 07 पर वर्णित मशीनों के एकमुश्त निस्तारण के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक जो निदेशक, एमएसएमई-विकास संस्थान,जयपुर के पक्ष में देय हो संलग्न करने होंगे।
- सामान पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् ही हस्तान्तरित किया जाएगा।
- सामान/मशीनों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने पर निस्तारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक,एमएसएमई-विकास संस्थान, जयपुर के पास रहेगा।
- उपरोक्त सामग्री/मशीनें उच्चतम दर पर देने वाले को दी जायेगी व उच्चतम दर खरीददार द्वारा निस्तारण सामग्री भुगतान जमा होने के एक सप्ताह (पांच कार्य दिवस) तक उपरोक्त सामान नहीं उठाने पर उनकी निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- खदीददार को सामान अपने खर्चे से कार्यालय से उठाकर ले जाना होगा।